



प्रेषक,

दयाराम

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त

उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2

लखनऊ::दिनांक: 02 जुलाई, 2026

विषय:-मेसर्स गोयला डिस्टिलरी एल.एल.पी., ग्राम दौलतपुर, औरंगाबाद, मिताली-लखीमपुर खीरी में 77 कि.मी. प्रतिदिन क्षमता की ग्रेन/शीरे पर आधारित पेय/औद्योगिक आसवनी स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-15/दो-प्रा.डी.-300/गोयला डिस्टिलरी खीरी, दिनांक 02-06-2026, एवं इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 24-06-2026 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:525ई-2/तेरह-2026-1430430, दिनांक 02-07-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 02-06-2026 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के क्रम में मेसर्स गोयला डिस्टिलरी एल.एल.पी., ग्राम दौलतपुर, औरंगाबाद, मिताली-लखीमपुर खीरी द्वारा 77 कि.मी. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 269.50 लाख लीटर क्षमता की शीरा और अनाज पर आधारित मिश्रित आसवनी जिसके अन्तर्गत 75 प्रतिशत इण्डस्ट्रियल अल्कोहल (रेक्टिफाइड स्पिरिट, ई.एन.ए., अब्सोल्यूट अल्कोहल) तथा 25 प्रतिशत पेय मदिरा का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, आसवनी स्थापित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (1) आसवनी द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 एवं (आसवनी की स्थापना) (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 2022 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) इकाई में स्थापित किये जाने वाले प्लांट की अधिकतम अधिष्ठापित क्षमता 77 किलोलीटर प्रतिदिन निर्धारित की जाती है किन्तु वर्तमान में इकाई को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमन्य सीमा (वर्तमान में 60 किलोलीटर प्रतिदिन एवं वर्ष में 350 संचालन दिवस के आधार पर 210 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत 75 प्रतिशत औद्योगिक तथा 25 प्रतिशत पेय क्षमता तक अल्कोहल उत्पादन की अनुमति होगी तथा उक्त के लिये यथा निर्धारित दर से पी.डी.-2 अनुज्ञापन की फीस जमा की जायेगी। भविष्य में 77 किलोलीटर प्रतिदिन के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से क्षमता में वृद्धि की अनुमति प्रदान किये जाने की स्थिति में इकाई द्वारा पी.डी.-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अनुज्ञापन पर क्षमता वृद्धि के लिये आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को पुनः आवेदन करना होगा तथा अनुमति प्रदान किये जाने पर बढ़ी हुयी क्षमता की पी.डी.-2 अनुज्ञापन की फीस जमा करनी होगी।

- (3) इकाई की वर्तमान अनुमन्य अधिष्ठापित क्षमता 60 कि.ली. प्रतिदिन निर्धारित की जाती है। इकाई को यदि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 77 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता पर आसवनी संचालन के संबंध में नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त हो जाने पर ही आबकारी आयुक्त द्वारा 77 कि.ली. प्रतिदिन उत्पादन क्षमता की अनुमति के संबंध में नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।
- (4) ग्रेन से एथनॉल/अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्रुत इकाई को करना होगा।
- (5) आसवनी द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेंस एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- (6) आसवनी द्वारा गुड मेन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज तथा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुये उत्पादन किया जायेगा।
- (7) इकाई द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
- (8) शासनादेश संख्या-864ई-2/तेरह-2023-107/2013 दिनांक 10.05.2023 द्वारा प्रदेश में स्थित आसवनियों में अलग-अलग प्लांट एवं संचय व्यवस्था होने पर अलग-अलग फीड से एक साथ अल्कोहल (एथनाल) उत्पादन किये जाने हेतु गाइड लाइन निर्धारित की गयी है, का आसवक द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) आसवक द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा अर्थात् उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाई गई शर्तों का अनुपालन करते हुये ही स्वीकृत क्षमता पर उत्पादन किया जायेगा।
- (10) इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर तथा संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों के मध्य एवं निकासी टैंकों के पश्चात मास फ्लोमीटर लगाये जायेंगे।
- (11) इकाई का आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुये पोर्टल की सभी औपचारिकतायें पूर्ण की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (12) इकाई के मुख्य द्वार पर आने तथा जाने वाले वाहनों की नम्बर प्लेट को कैप्चर करने के लिये दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे तथा वेमेन्ट ब्रिज पर भी दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे। आसवनी में अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी कैमरें स्थापित किये जायेंगे। कैमरों तथा राडार का इन्टीग्रेशन आबकारी विभाग के पोर्टल से कराया जायेगा।
- (13) आसवनी द्वारा ब्वायलर एक्ट 1923 (यथासंशोधित) में प्राविधानित सम्पूर्ण सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उत्पादन किया जायेगा।
- (14) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।
- (15) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दयाराम)

उप सचिव।

संख्या:-23/2026/526(1)ई-2/तेरह-2026-1430430 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हO/-

(दयाराम)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।